चंद्रशेखर वशिष्ठ की वापसी : बने तिगांव कॉलेज के प्रिंसिपल

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। करीब चार वर्ष पूर्व छात्रा के यौन शोषण मामले में महिला कॉलेज के विरोधी शिक्षकों द्वारा रचे गए षणयंत्र के कारण जिले से बाहर भेजे गए प्रो. चंद्रशेखर की आखिरकार जीत हुई।

करीब चार वर्ष पूर्व स्थानीय राजकीय महिला कॉलेज में तैनात प्रो. चंद्रशेखर को स्टाफ की गुटबाजी के चलते जिस षणयंत्र का शिकार बनाया गया था, उससे वे न केवल सुर्खरू होकर निकले बल्कि अब पदोन्नत होकर प्रिंसिपल के पद तक भी पहुंच गए।

प्रो. सीएस वशिष्ठ 2019 में सेक्टर 16 ए स्थित राजकीय महिला कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड थे। मई 2019 में कॉलेज के विज्ञान संकाय की एक छात्रा ने लैब अटेंडेंट जगदेव सिंह और चपरासी विक्रम पर परीक्षा में पास

कराने के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन प्रिंसिपल नरेंद्र से शिकायत की थी। छात्रा का ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उसकी और लैब असिस्टेंट जगदेव के बीच की बातचीत थी इस ऑडियो में प्रो. वशिष्ठ का कहीं ज़िक्र भी नहीं था। प्रिंसिपल नरेंद्र ने पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी, इसमें प्रो. वशिष्ठ का विरोध करने वाली प्रो. नम्रता भी शामिल थी।

जांच कमेटी की सदस्य प्रो. नम्रता के दबाव में प्रो. वशिष्ठ नाम इस प्रकरण में खींचा गया था। प्रो. नम्रता प्रो. वशिष्ठ के ही मातहत थीं लेकिन वह उनका विरोध इसलिए करती थीं कि प्रो. वशिष्ठ की नजर में वह अच्छी शिक्षिका नहीं थीं। कॉमर्स संकाय की ही प्रो. रूपम डोरा भी इसी कारण प्रो. वशिष्ठ का विरोध करती थीं।

उस समय गुटबंदी का एक और कारण बड़े पैमाने पर प्रोफेसरों और प्रिंसिपलों के तबादले होना भी था। कई प्रोफेसर और प्रिंसिपल सेक्टर 16ए महिला कॉलेज पाना चाह रहे थे। इन हालात में विरोधी गुट ने छात्रा को प्रो. सीएस वशिष्ठ के खिलाफ मोहरा बना कर उन पर और प्रिंसिपल नरेंद्र पर निशाना साधा था। छात्रा द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 में कराए गए बयान में सीएस वशिष्ठ का नाम भी आया था, इसी के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी और वो कई दिनों तक जेल में रहे थे।

उस समय विरोधी गुट ने प्रायोजित मीडिया द्वारा उनके खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा कराया था। लेकिन इसके विपरीत मजदूर मोर्चा ने पूरे षणयंत्र का भंडाफोड़ करते हुए जिस सच्चाई से पाठकों को अवगत कराया था उसी सच्चाई को समय आने पर शिक्षा विभाग तथा अदालत ने भी स्वीकार करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था।

प्रो. वशिष्ठ के विरुद्ध प्रायोजित विरोध एवं प्रतिक्रियाओं से उन्हें बचाए रखने के लिए उन्हें फरीदाबाद से दूर दराज के स्थानों में तैनाती दी जाती रही। लेकिन अब मामला ठंडा हो जाने के बाद उन्हें मौजूदा तैनाती प्रदान की गई।

राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नं 3 की 18 छात्राओं ने छात्रवृत्ति जीती

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) जिले के राजकीय विद्यालयों की 50 छात्राओं का उच्च शिक्षा स्कॉलरशिप के लिए चयन हुआ है। कड़े मानक और परीक्षा के आधार पर चुनी गईं इन छात्राओं में सर्वाधिक 18 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नं 3 से हैं।

राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नं 3 के प्रधानाचार्य डॉ. परेश गुप्ता के अनुसार यह स्कॉलरशिप उदयन शालिनी नाम के एनजीओ द्वारा दी जाती है। चुनी गई छात्राओं को दस हजार से पचास हजार रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। चुनी गई पचास छात्राओं का इंडक्शन प्रोग्राम 28 अक्तूबर को विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। इस मौके पर संस्था की फाउंडर निदेशक डॉ. किरण मोदी ने बताया कि स्कॉलरशिप के लिए छात्राओं का चयन कड़ी प्रक्रिया के बाद होता है। दसवीं कक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं का चयन लिखित परीक्षा के लिए होता है।

लिखित परीक्षा पास करने के बाद मेरिट में आने वाली छात्रा के माता-पिता का भी साक्षात्कार किया जाता है। इसके बाद ही चयनित छात्राओं की अंतिम सूची जारी की जाती है। सर्वाधिक 18 छात्राएं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नं 3 की चुने जाने पर उन्होंने प्रधानाचार्य डॉ. परेश गुप्ता और उनकी टीम को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बधाई दी।

इससे पहले डॉ. परेश गुप्ता ने एनजीओ फाउंडर निदेशक सहित उनकी टीम के पूर्व एसोसिएट फहीम, फरीदाबाद की कोऑर्डिनेटर कुमारी आरजू, कुमारी नेहा का आभार व्यक्त किया। छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति के जरिए शिक्षा का महत्व बताया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं के माता-पिता और अभिभावक भी मौजूद रहे। इस मौके पर विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य देवेंद्र, प्रवक्ता प्रवीण कथूरिया, सुधीर, सुनीता आदि अध्यापक भी उपस्थित थे ।

'एएए फ़ास्टनर्स' को मज़दूर का बक़ाया देना ही पड़ा

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा

संतोष कुमार आज़ाद नगर में रहते हैं और पास ही नट-बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री 'ए ए ए फ़ास्टनर्स प्लाट नंबर 262-263 सेक्टर 24, फ़रीदाबाद' में काम कर रहे थे। प्रबंधन के अपमानजनक और दमनकारी रवैये से तंग आकर उन्हें जुलाई के अंतिम सप्ताह में वहां काम छोड़ना पड़ा। 25 दिन के उनके वेतन 8,000 रुपये का भुगतान उसी वक़्त या अगस्त महीने की 7 तारीख़ तक हो जाना चाहिए था लेकिन वैसा नहीं हुआ। पेमेंट लेने के लिए उन्हें बार-बार बुलाया जाने लगा और किसी न किसी बहाने ख़ाली हाथ टरकाया जाने लगा। फ़रीदाबाद में मालिकों ने ये दस्तूर ही बना लिया है कि मज़दूरों को अगले महीने की किसी भी निश्चित तारीख को बिना मांगे वेतन नहीं मिलता। जो काम छोड़ देता है उसे तो बिलकुल नहीं देते, उन्हें टरकाते रहते हैं। ये देखते हैं कि ये मज़दूर अपना वेतन लेने के लिए उन्हें मज़बूर कर पाएगा या नहीं। अधिकतर मज़दूर असंगठित हैं वे मालिकों पर ऐसा दबाव नहीं बना पाते इसलिए वेतन की जगह मालिकों के गुर्गों से दुत्कार, झिड़कियां, गालियां खाकर, हताश होकर अपनी क़िस्मत को कोसते हुए अपने गांव लौट जाते हैं और फिर कभी वहां वापस नहीं आते। वे किसी दूसरी जगह काम तलाशते हैं, शायद वहां उन्हें वेतन मिल जाए !!

संतोष कुमार चूंकि आज़ाद नगर में रहते हैं। वे 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' को जानते हैं। पूरे 3 महीने तक टक्कर मारकर भी जब उन्हें बक़ाया वेतन नहीं मिला तब 30 अक्टूबर को उन्होंने संगठन के कार्यालय जाकर अध्यक्ष कॉमरेड नरेश को अपनी दर्दभरी दास्तां सुनाई। नेतृत्वकारी साथियों की सभा हुई और तय हुआ कि बक़ाया वेतन वसूलने के लिए इसी वक़्त 'ए ए ए फ़ास्टनर्स' फैक्ट्री चला जाए। लगभग 25 साथी जिनमें कई महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं झंडे बैनर लेकर उसी वक़्त फैक्ट्री पहुंच गए और वेतन का भुगतान करने के लिए नारे लगाने लगे। मज़दूर के साथ बेशर्मी एवं बेईमानी करने वाले कंपनी मालिकान 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' को पहले से ही जानते थे। इसलिए बिना कोई समय गंवाए और अपनी अतिरिक्त फजीहत से बचने के लिए उन्होंने पुलिस की शरण में जाने अथवा अन्य कोई तिकड़मबाजी करने के बजाय अपनी अंधेरगर्दी को विनम्रता से ढकना ही उचित समझा।

विनम्रता में भी हेकड़ी का मिश्रण आजमाने के लिए पहले एक प्रबंधक बाहर आया। "पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता पैसा। आधार कार्ड कहां है इसका? हिसाब होगा तब दिया जाएगा।" मज़दूर, जब उसे आड़े हाथों

संतोष कुमार, पीड़ित मजदूर को मिला इंसाफ

लेते हुए अपनी मेहनत का पैसा लेने पर अड़ गए तो 'एचआर वाली मेडम' उपस्थित हुईं और बोलीं कि 'मज़दूर से लेटर लिखवाएंगे, तब देंगे न !! मालिक को तो आने दीजिए। अब बाद में आ जाइये, भीड़ अच्छी नहीं लग रही, पैसा देने को कहां मना किया है'। इस बेहूदी बकवास पर 'हमें हमारा वेतन दो, आज दो, अभी दो !!', मज़दूर एक स्वर में चीख पड़े। तब ही संतोष कुमार अपना आधार कार्ड ले आए। साथ ही मज़दूरों के तेवर भांपते हुए बड़े मैनेजर ने उस खड़ूस मैनेजर को फैक्ट्री के अंदर बुला लिया।

दूसरा मैनेजर हेकड़ी रहित, विनम्र अंदाज़ में प्रकट हुआ 'ठीक है, जब आप लोग अभी इसी वक़्त पैसा लेने पर अड़े हैं तो संतोष जी को अंदर भेज दीजिए लिखवाना तो पड़ेगा ना'। फैक्ट्री मालिकान जान चुके थे कि इस मामले में बेईमानी मुमकिन नहीं। संतोष कुमार को छोटे दरवाजे से अंदर लेते हुए जैसे ही गार्ड ने दरवाज़ा बंद किया मज़दूर चीख़ पड़े 'दरवाज़ा बंद नहीं होगा। जब तक हमारी साथी अपना वेतन लेकर सही सलामत वापस नहीं आ जाता दरवाज़ा इसी तरह खुला रहेगा। आप लोगों का कोई भरोसा नहीं। कई जगह ऐसा भी हो चुका है कि मज़दूर को फैक्ट्री में पैसा लेने के लिए बुलाया गया, उसे अंदर मालिक के ठेकेदारों और बाउंसरों ने पीटा और धमकाया कि बाहर जाकर ये ही कहना है कि मेरे पैसे वापस मिल गए !!'

इस बार वैसा नहीं होना था। लगभग 10 मिनट बाद संतोष कुमार विजयी भाव से मुस्कुराते हुए बाहर प्रकट हो गए। मज़दूरों ने लाल झंडे लहराते हुए ज़ोरदार नारों के साथ अपने कॉमरेड का स्वागत किया। जीत कितनी भी छोटी हो उसकी अपनी ही लज्ज़त होती है। "मज़दूर एकता जिंदाबाद', 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा जिंदाबाद', लड़के लेंगे अपने हक़, भूलो मत, भूलो मत', इंक़लाब जिंदाबाद', के नारे आकाश में गूंज गए। इतना ही नहीं नट-बोल्ट बनाने वाली इस फैक्ट्री में काम करने वाले 75 मज़दूर भी जोश और आनंद में झूम गए जब उन्हें पता चला कि अपनी मेहनत का जो भी वेतन तय हुआ है उसे वसूलने का मालिक के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा और भी तरीका है जिसमें मालिक की आंख में आंख डालकर बात की जाती है। मालिकों की बेईमानी को बेईमानी ही कहा जाता है। जब मज़दूरों की आवाज़ में एक अलग खनक और ठसक सुनाई पड़ती है। फैक्ट्री के सभी मज़दूर 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' के परचम तले संगठित होने की इच्छा ज़ाहिर कर चुके हैं।

श्रम विभाग, भविष्य निधि विभाग तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम के वरिष्ठ अधिकारी कई बार कह चुके हैं कि हरियाणा सरकार का ये लिखित आदेश है कि कारखाना मालिक जो मर्ज़ी करें तुम्हें दखल नहीं देना है। मालिकों को मज़दूरों का खून चूसने की आज़ादी; यही तो है मोदी की 'व्यवसाय की सुगमता'। यही है सरमाएदारों का अमृत काल, जिसके लिए कई मज़दूर भी अपनी अज्ञानतावश और मज़हबी खुमारी में टुन्न, नाहक झूमते पाए जाते हैं। हम हरियाणा प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि 'ए ए ए फ़ास्टनर्स' में श्रम क़ानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मज़दूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा।

फैक्ट्री दिन-रात, 24 घंटे चल रही है लेकिन इसके लिए आवश्यक 3 शिफ्टों की जगह 2 शिफ्टों से ही काम चलाया जा रहा है। मतलब मज़दूरों से 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है जिसका कोई ओवरटाइम नहीं दिया जा रहा। मज़दूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन का हक़ हासिल करने के लिए बहुत भारी क़ीमत चुकाई है। अमेरिका के शिकागो शहर में 1886 की मई के पहले सप्ताह में मज़दूरों के गौरवशाली इतिहास का यह सुनहरा अध्याय अक्षरशः मज़दूरों के खून से लिखा गया है जिसकी बदौलत 8 घंटे काम का अधिकार हासिल हुआ था। मई दिवस के अमर शहीदों को हम न भूले हैं न भूलेंगे। पीएफ़ और ईएसआईसी, बस कुछ मज़दूरों की ही कटती है बाक़ी के बारे में 'जब दुर्घटना होगी तब देखा जाएगा', वाला फ़ॉर्मूला भिड़ाया जा रहा है। वेतन नक़द दिया जाता है, जो नियम के विरुद्ध है और उसमें से कई अनुचित कटौतियां भी होती हैं। ओवरटाइम का भुगतान डबल रेट से नहीं होता। छुट्टियों में भी घपला किया जाता है। सम्बंधित विभाग कार्यवाई करें।